४९८ ए यानी हिंसा से बचाने का वादा

बिहार के कटिहार जिले की सबीता की शादी 25 अप्रैल 2013 में किशनगंज के ही मणि पोद्दार से हुई। मणि पोद्दार सिलीगुड़ी में एक निजी बैंक में काम करता है। सबीता के भाई अमित पोद्दार की कटिहार में किराना की दुकान है। उसी ने बहन की शादी की। शादी के लिए उसे जमीन बेचनी पड़ी और कर्ज भी लेना पड़ा। अमित के मुताबिक, 'शादी के बाद ही सबीता पर और दहेज लाने के लिए तंग किया जाने लगा। सबीता ने कई बार उसे फोन कर प्रताड़ित किए जाने की जानकारी भी दी। कुछ दिनों से ससुराल वाले कार की मांग करने लगे। फिर इसके लिए प्रताड़ित भी करने लगे। इससे पहले मोटरसाइकिल की मांग की गई थी। इसे किसी तरह हमने पूरा किया। चार जनवरी को उसे सबीता के ससुरालियों के पड़ोसियों ने खबर दी कि वह जल गई है। सबीता को जली हालत में सिलीगुड़ी अस्पताल ले जाया गया लेकिन सबीता ने दम तोड़ दिया।' सबीता 20 साल की थी। उसके भाई का इलजाम है कि सबीता को ससुराल वालों ने जलाया है। उसका यह भी आरोप है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त सभी घर में मौजूद थे। सबीता के जलने की खबर भी भाई को उसके ससुरालियों ने नहीं दी। उसे उनके पड़ोसियों से इसकी जानकारी मिली थी। ¼^fgUnLrku* e Nih [kcj d vkèkkj ijA½

18 साल की उम्र में शादी और 20 साल की उम्र में मौत। सबीता की तीन साल की शादीशुदा जिंदगी कैसी रही होगी, इसका अंदाजा इस छोटी सी खबर से लगाया जा सकता है। उसकी तीन साल की जिंदगी कुछ इस तरह रही होगी–

- शादी के लिए जमीन बेचनी पड़ी और कर्ज लेना पड़ा।
- दहेज देकर शादी हुई।
- दहेज देने के बाद भी और दहेज की मांग लगातार की जाती रही।
- जब बहुत सुना और सह लिया होगा, तकलीफ बढ़ने लगी होगी तो भाई से दुख साझा किया होगा। जरा गौर करें, कोई लड़की मायके वाले से अपने दुख कब साझा करती है।
- इस बीच मोटरसाइकिल की मांग होने लगी। भाई ने किसी तरह यह मांग पूरी की।
- सबीता की तकलीफ फिर भी कम नहीं हुई।
- जब तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो भाई को बार–बार फोन किया।
- और अचानक एक दिन भाई को किसी पड़ोसी से बहन के जलने की खबर मिलती है।
- एक–दो दिन तकलीफ झेलने के बाद सबीता की मौत हो जाती है।
- 20 साल की जिंदगी का तकलीफदेह अंत होता है।
- भाई ने उसके ससुरालियों पर केस दर्ज किया है।
- अब सालों दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या का केस चलेगा।
- मगर सबीता गवाही देने या केस का नतीजा देखने के लिए नहीं रहेगी।
- ऐसी प्रताड़ना की हालत में सबीता कब बच सकती थी। सबीता अब इस दुनिया में नहीं रही।

अब एक और महिला की बात सुनते हैं।

'पहली बार जब उन्होंने कहा, "मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा" तो मैंने सोचा, वह मज़ाक कर रहे हैं। ये अल्फ़ाज़ मेरी ज़िंदगी में अब तक किसी ने मुझसे नहीं कहे थे। पहली बार उन्होंने अपने हाथ से मेरी पिटाई की तो मुझे गहरा सदमा लगा। दूसरी बार उन्होंने लकड़ी के हैंगर से मेरी पिटाई की। मैंने सोचा, "यह सच नहीं है, यह मेरे साथ नहीं हो सकता।" तीसरी बार बेल्ट का इस्तेमाल हुआ। बक्कल से नाक पर चोट लगी और नाक की हड्डी टूट गई। मैं सन्न रह गई। दर्द से ज्यादा मायूसी से... इसके बारे में तो किसी ने मुझे चेताया भी नहीं था... शादी का मतलब यह भी होता है!'

यह महिला कोई और नहीं आज की मशहूर नारीवादी वकील फ्लेविया एग्निस हैं। यह उनकी जिंदगी का सच है। लेकिन जब फ्लेविया के साथ ऐसा हो रहा था तो उनके पास बचाव का कोई कानून नहीं था। तब हमारे देश के कानून में घरेलू हिंसा को पहचान ही नहीं मिली थी। घर के पवित्र दायरे और खास कर पति की तरफ से हिंसा के बारे में बात करने की बात तो दूर,

सोचा भी नहीं जाता था। यहां तक कि अस्सी के दशक तक घरेलू हिंसा जैसा शब्द भी विमर्श में इस्तेमाल नहीं किया जाता था।

अस्सी के दशक में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बड़ा मुद्दा बन गया था। उस वक्त घरेलू हिंसा खासकर शादीशुदा महिलाओं को हिंसा से हिफाजत का कोई कानून नहीं था। उस वक्त ऐसा माना गया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रमुख वजहों में से एक दहेज है। इसलिए विमर्श का फोकस भी दहेज, दहेज हत्या जैसी हिंसा थी। उस वक्त मुल्क में दहेज हत्याओं के खिलाफ भी जबरदस्त आवाज उठी।

इसी पृष्ठभूमि में महिला आंदोलन के दबाव की वजह से एक कानून बना। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में यह कानून '498 ए' के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह पहला कानून था जो घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए बना। हालांकि इसके दायरे में शादीशुदा महिलाएं ही थीं। इस कानून का मकसद पति या पति के रिश्तेदारों की क्रूरता से महिला को बचाना था।

भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए यानी किसी महिला पर शौहर या शौहर के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करने की हालत में बचाने वाला कानून है।

कोई भी चाहे वह महिला का पति हो या अन्य ससुराली अगर किसी महिला के साथ क्रूरता का सुलूक करते हैं तो वे तीन साल तक की सजा और जुर्माना के भागीदर होंगे।

यह कानून क्रूरता की परिभाषा भी बताता है। इसके मुताबिक क्रूरता का मतलब होगा

1) जानबूझ कर की गई ऐसी हरकत,

- जिसकी वजह से कोई महिला खुदकुशी करने की हालत तक पहुंच जाए या
- उसे गंभीर चोट पहुंचने की आशंका हो या
- उसकी जान को खतरा हो या
- या उसके जिस्म के किसी अंग पर खतरा हो या
- उसके शारीरिक या मानसिक सेहत पर कोई खतरा हो

2) किसी महिला की प्रताड़ना करना।

- ऐसी प्रताड़ना जिसका मकसद महिला या उससे जुड़े किसी शख्स को किसी जायदाद को देने या कीमती चीज की मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करना।
- या ऐसी किसी मांग को पूरा न कर पाने की हालत में महिला या उससे जुड़े किसी शख्स को प्रताड़ित करना।

हालांकि इस कानून के बाद दहेज की वजह या प्रताड़ना से या शादीशुदा महिलाओं की असमान्य हालात में मौत रुकी नहीं। तब एक बार फिर ऐसी मौतों को खास तरीके से देखने की कोशिश हुई। तब कानून में एक और हिस्सा जोड़ा गया। यह कानून भी शादीशुदा महिलाओं के दायरे में लागू होता है और इसे दहेज की वजह से होने वाली मौतों की श्रेणी में रखा जाता है।

यह भारतीय दंड संहिता की धारा '304 बी' है। यह धारा कहती है, 'जब किसी स्त्री की मृत्यु जलने से या शारीरिक चोट से होती है, या उसकी शादी के सात साल से अन्दर होती है और यह सिद्ध हो जाता है कि ससुराल वालों ने दहेज़ की माँग की थी, तो कानून इसे दहेज हत्या मानेगा। आईपीसी की धारा 304 बी के तहत यह संज्ञेय और गैरजमानती अपराध है। इसके लिए कम से कम सजा सात साल है, जो उम्र कैद तक बढ़ सकती है।'

'498ए' और '304बी' यानी दोनों कानूनों को एक साथ देखना जरूरी है। महिला जीवन के लिए अगर इन कानूनों को अलग–अलग करके देखेंगे तो हम उनकी जिंदगी की जटिलताओं को समझेंगे न उन्हें हिंसा मुक्त जीवन या इंसाफ दिला पाएंगे।

हालांकि, पिछले दिनों कुछ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए कुछ फैसलों ने चिंता बढ़ा दी है। ये फैसले इस बात पर निर्भर हैं कि 'महिलाएं हिंसा से बचाने वाले कानूनों का दुरुपयोग करती हैं।' कहीं यह बात साफ–साफ कही गई है तो कहीं इशारे–इशारे में। केन्द्र सरकार भी इन कानूनों की धार कुंद करने में लगी है। जैसे– यह अपराध संज्ञेय न रहे। ऐसी हिंसा की हालत में भी समझौते पर जोर दिया जा रहा है। मुकदमा तुरंत न लिखा जाए या गिरफ्तारी भी तुरंत न हो बल्कि पहले समझौते की पहल हो।

इस परिप्रेक्ष्य में पहला सवाल है, समझौता किससे और किस हालत में होगी? यह महिला को हिंसा मुक्त जीवन देगा, इसकी गारंटी कैसे होगी? दूसरा, हमारी पुलिस व्यवस्था जिस रूप में काम करती है, उस हालत में वह महिला हिंसा के मामले कैसे हल करेगी? महिला मुद्दों पर काम करने वाले कई संगठन और कई कार्यकर्ताओं ने लगातार इस पर चिंता जाहिर की है।

दूसरी ओर, काफ़ी हीलाहवाला के बाद इस मुल्क में घरेलू हिंसा से बचाव का एक सिविल क़ानून बन पाया है। इसे घरेलू हिंसा से

महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005, कहा जाता है। यह अक्टूबर 2006 से एक क़ानून के रूप में लागू है। हालांकि, इस कानून से भी जो उम्मीदें थीं, वह पूरी होती नहीं दिख रहीं। एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव (आली) घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी मदद देने का काम करता है। इसकी कार्यकारी निदेशक रेणु मिश्रा उत्तर प्रदेश के अनुभव से कहती हैं, यह सिविल कानून घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को तुरंत मदद पहुंचाने के लिए बना है लेकिन महिलाओं को मदद नहीं मिल रही है। यह कानून कैसे लागू हो रहा है, यह जानने के लिए आली ने तीन साल पहले एक अध्ययन किया। उस अध्ययन में दो अहम सिफारिशें थीं। एक, इस कानून को लागू करने के लिए अलग से बजट का प्रावधान हो और दूसरा खास इस कानून के लिए स्वतंत्र रूप से प्रोटेक्शन अफसर नियुक्त किए जाएं। ये दोनों चीजें ही इस कानून के प्रभावी इस्तेमाल के लिए जरूरी हैं और ये दोनों काम नहीं हो पाए हैं।

जब फ्लेविया एग्निस के साथ क्रूरता या हिंसा हो रही थी तो उससे बचने के लिए उनके पास खास कानून नहीं था। लेकिन सबीता की जिंदगी, आज की जिंदगी थी। उसे बचाने के लिए कई कानून थे। उसके साथ जो सुलूक किया गया वह सबसे पहले 498ए के दायरे में आता है पर वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाई। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय परिवार किस तरह बचाए जाते हैं। ऐसी हालत में महिलाओं या लड़कियों को जिंदगी चलाए रखने की किस–किस तरह की सलाह दी जाती है। ... लेकिन उसका नतीजा क्या निकला। वह 498ए की बजाय 304बी के हिस्से आ गई।

४९८ ए के दुरुपयोग का सच ...

498ए के दुरुपयोग का जबरदस्त हल्ला है। समाज से लेकर कोर्ट तक इस हल्ले के असर में हैं। सवाल है, इस मुल्क में किस कानून का दुरुपयोग नहीं होता है? क्या हत्या के कानून का दुरुपयोग नहीं होता है? क्या गरीब और दलित फंसाए नहीं जाते? तब उन कानूनों के खिलाफ हल्ला नहीं मचता? उन्हें खत्म करने की मांग नहीं होती है? तब क्यों 498 ए पर ही हल्ला है? कयोंकि यह कानून महिलाओं को ताकत देता है। इसलिए मर्दिया समाज चाहता है कि इतना हल्ला मचाया जाए कि इस कानून को ही शक के दायरे में खड़ा कर दिया जाए और फिर महिलाओं को मिली कानूनी ताकत को छीन लिया जाए। मगर, ये नहीं हो सकता कि मर्द, ढेरों कानून का अपने हक और हित में दुरुपयोग करें और उन पर चर्चा भी नहीं हो? जहां तक महिला आंदोलन की बात है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं कि दुरुपयोग करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हां, बाकि कानूनों के दुरुपयोग करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

हालांकि दुरुपयोग का जितना हल्ला होता है कि क्या वाकई में ऐसा है। आंकड़े कुछ और बताते हैं। गृह राज्य मंत्री हरिभाई परथीभाई ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा को बताया था कि महिलाओं के प्रति क्रूरता या प्रताड़ना से जुड़े नौ फीसदी मामले गलत या कानून के मुताबिक खरे नहीं थे। हालांकि उन्होंने साफ साफ कहा कि इसके बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता या ऐसा कोई अध्ययन नहीं है कि 498 ए का देश में सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। 498 ए के तहत 2013 में 1,18,866, 2012 में 1,06,527 और 2011 में 99,135 मामले दर्ज हुए। गृह राज्य मंत्री के मुताबिक पुलिस की जांच पड़ताल के बाद 2011 में 10,193, 2012 में 10,235, 2013 में 10,864 मामले या तो गलत मिले या जिनमें तथ्यों की कुछ गलतियां थीं या कानून के पैमाने पर फिट नहीं थीं।

हमारे मुल्क में पुलिस की जांच पड़ताल कैसे होती है, हम सब जानते हैं। अगर मामला महिलाओं से जुड़ा है तब जांच पड़ताल कैसे की जाती है, यह भी बताने की बात नहीं है। इसमें भी जब केस पति या उसके रिश्तेदार की क्रूरता से जुड़ा है तो केस–मुकदमा करने वाली महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया कैसा होता है, यह भी छिपी बात नहीं है। इसके बाद भी सरकारी आंकड़ा मानता है कि पति या उसके रिश्तेदार की क्रूरता के 91 फीसदी से ज्यादा मामले सही हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। 10,864 हजार के मुकाबले 1,08,002 की संख्या काफी बड़ी है। इसलिए दुरुपयोग, दुरुपयोग का शोर वास्तव में महिलाओं की प्रताड़ना से मुंह मोड़ने की कोशिश है। यह इस बात की कोशिश है कि हिंसा का चक्र चलता रहे और उस हिंसा के चक्र में महिलाओं की जिंदगी फंसी रहे। मर्द और मर्दिया समाज महिलाओं के दमन और अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए हिंसा का चक्र बेखौफ चलाता रहे।

साइबर दुनिया में ४९८ ए

इंटरनेट पर एक नहीं अनेक ऐसी वेबसाइट मिलती हैं, जो सिर्फ इस कानून के खिलाफ बनाई गई हैं। उन वेबसाइट पर 498ए और महिलाओं का जमकर मजाक उड़ाया जाता है। कोई 'बेचारे पति' की बात करता है तो कई 'पुरुष अधिकार' की। कोई इसकी आतंक से तुलना करता है तो इसे ब्लैकमेल का हथियार बताता है। इन्हें देख कर लगता है कि इस मुल्क की महिलाएं कितनी शक्तशिाली हैं! वे पुरुषों को बेवकूफ बना रही हैं और पुरुषों को इस कानून से प्रताड़ित कर रही हैं! लेकिन क्या पुरुषों के घर, परिवार या समाज का सच यही है। अगर सरकारी आंकड़े को ही सच मान लें तो पति और उसके रिश्तेदारों की क्रूरता के एक साल में ही सही पाए गए एक लाख आठ हजार मामले क्या हैं?

क्या ये ब्लैकमेल करने वाली महिलाओं के आंकड़े हैं?

'kknh d ^ifo= cèku* e efgykvk d f[kykQ gku okyh fgalk dh ,d >yd ; vkdM nr gA ; o vkdM g] tk ntZ gk ik, gA lPpkbZ tks lkeus vkbZ] mlls dgha T;knk efgykvksa dh rdyhQ bu vkdMk e ntZ ugh gA

lky	ifr vkSj mlds fj'rsnkjksa dh Øwjrk	ngst gR;k
2004	58121	7026
2009	89546	8383
2010	94041	8391
2011	99135	8618
2012	106527	8233
2013	118866	8083
2014	122877	8455
		lzksr& ,ulhvkjch] 2014

ये आंकड़े बताते हैं कि

- 2009 से 2013 के बीच दहेज हत्या की सालाना औसत संख्या 8342 है।
- यानी हमारे देश में हर रोज लगभग 23 लड़कियां दहेज के नाम पर मारी जा रही हैं।
- यानी औसतन हर घर घंटे इस मुल्क में कहीं न कहीं कोई न कोई लड़की दहेज के लिए मार दी जा रही है।
- दस साल में दहेज हत्या में 20.3 फीसदी बढ़ोतरी हुई है।
- 2009 से 2013 के बीच पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की औसत घटनाएं 1,01,623 हैं।
- यानी देश में हर रोज लगभग पौने तीन सौ लड़कियां पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता से तंग आकर कानून का सहारा ले रही हैं।
- दस साल में पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की घटनाओं में 111.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 2013 से 2014 के बीच एक साल में ऐसे मामलों में 3.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
- क्या लड़कियां इस कानून का दुरुपयोग करने के लिए मर रही हैं?
- या लड़कियां मर कर कानून का दुरुपयोग कर रही हैं?

अब सवाल है कि क्या हम सबीता जैसी लड़कियों के मरने का इंतजार करें... तब ही हमें यकीन होगा कि मर्द या उसके रिश्तेदार हिंसा करते हैं। या हम गंभीरता से विचार करें और कानूनी की ताकत और उसकी धार को कुंद न होने दें ताकि सबीता जैसी 20 साल की लड़की एक लम्बी उम्र और खुशहाल जिंदगी जिए। चुनाव हमें करना है।

संदर्भ

- दहेज के लिए विवाहिता की कर दी गई हत्या, पेज–7, हिन्दुस्तान, भागलपुर (अररिया/किशनगंज संस्करण), 07 जनवरी 2015
- परवाज, फ्लेविया एग्निस की आत्माकथा, अनुवाद–नासिरूद्दीन, दानिश बुक्सै, नई दिल्ली
- http://www.ncrb.gov.in/cii-2014/Statistics%202014.pdf
- http://www.ncrb.gov.in/MAPS-2014/cii-2014%20maps/MAPS-CII-2014-FINAL.pdf
- Section 498A in The Indian Penal Codehttp://indiankanoon.org/doc/१५६९२५३/

प्रकाशन: 2015

लेआउट डिजाईन : सी.एच.एस.जे. क्रियेटिव कम्यूनिकेशन

वित्तीय सहायता : यूएनएफपीए

सीमित और निजी वितरण के लिए

ईमेल: nasiruddinhk@gmail.com

फोरम टू इंगेज मैंन (फेम)

सचिवालय

सेन्टर फॉर हेल्थ एण्ड सोशल जस्टिस

यंग वूमेंन हॉस्टल नं. 2 (बेसमेंट), एवेन्यू 21, जी ब्लॉक, साकेत, नई दिल्ली–10017,
फोन: 91–11–26511425, 26535203, टेलीफैक्स: 91–11–236041,
ईमेल: engagingmen@gmail.com, chsj@chsj.org वेबसाइट: www.femindia.net